



Government of Haryana
Forest and Wildlife Department
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्यप्राणी विभाग।

सेवा में

1. क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक: 3895-व-1-2022/8949
चण्डीगढ़ दिनांक 21/12/2022

विषय:

Diversion of 0.0219 ha. of Forest land in **Ambala Forest Division** for access to IOCL Retail Outlet on Naraingarh-Kala Amb road (NH-72), at KM 38.178 (LHS), Village Naraingarh, Tehsil, Under Forest Division and District Ambala, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021)

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा पंचकुला की सिफारिश के दृष्टिगत IOCL Panipat Division Office का कथित प्रस्ताव वन संक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में **अम्बाला वन मण्डल** के तहत 0.0219 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 11 वृक्ष (वाल्युम 2.42 m³) बाधक है जो कटवाए जायेंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता ऐजेंसी से कैम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	1,61,173
2.	Supervisory Charge	16,117
3.	मृदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	53,187
4.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फोरेस्ट लैण्ड	20,975
5.	फैलिंग चार्जिज	2,904
	कुल	2,54,356

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Laha Sec 4&5 पर 110 पौधे लगवाए जायेंगे। इस प्रस्ताव में वन संक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। इस प्रस्ताव में क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा वन संक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1-52/Misc/2019/ROC/496 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

(प्रशासकीय वन शाखा),
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्यप्राणी विभाग।

Full Title of the Project : Diversion of 0.0219 ha. of forest land for access to Retail Outlet of IOCL on Naraingarh –Kala Amb road(NH-72), at Km.38.178(LHS), Village Naraingarh, Tehsil Naraingarh, Under Forest Division and District Ambala, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021

PART-V

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : 20-12-2022

Place : Chandigarh

Signature

Name: **Dr. T.P Singh,**
Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department

Office Seal:

Secretary to Govt. of Haryana,
Forest Department